

पत्रांक: पी0जी0आई0/अधि0/ 111 / /2023 दिनांक 23-1-2023

सेवा में: समस्त जन सूचना अधिकारी, प्रशासन, पी0जी0आई0।

प्रेषक: नोडल अधिकारी, जन सूचना, पी0जी0आई0।

दिनांक: 23-1-2023

विषय: "जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 को पोर्टल के प्रचार-प्रसार हेतु उपाय किये जाने के संबंध में।"

कृपया पत्र के साथ संलग्न कार्यालय मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश, लोक भवन लखनऊ के आर0टी0आई0 संबंधी पत्र सं0-73(1)चौंतीस/लो0शि0अनुभाग-5/2023 दिनांक 13.01.23 एवं पत्र सं0-73/चौंतीस/लो0शि0अनुभाग-5/2023 दिनांक 13.01.23 का अवलोकन करने का कष्ट करें।

उपरोक्त के संदर्भ में आपसे अपेक्षा की जाती है कि जन सूचना के आवेदनों का उत्तर/सूचना देते समय निम्नलिखित टैक्स्ट को नोट के रूप में अनिवार्य रूप से अंकित किया जाए।

"उ0प्र0 में सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत आवेदनों/प्रथम अपीलों को आनलाइन प्राप्त कर निस्तारित किये जाने हेतु एक वैब पोर्टल <https://rtionline.up.gov.in> विकसित किया गया है। भविष्य में जनसूचना के लिए आवेदन/प्रथम अपील करने हेतु आप उक्त वैब पोर्टल का उपयोग कर सकते हैं।"

संलग्नक-यथोपरि।

(प्र0 रजनीश कुमार सिंह)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

1. निदेशक, पी0जी0आई0।
2. अपर निदेशक, पी0जी0आई0।
3. मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, पी0जी0आई0।
4. अधिशासी कुल सचिव, पी0जी0आई0।
5. अपीलनीय अधिकारी, जन सूचना।
6. विभागाध्यक्ष, बी0एच0आई0. को इस आशय से कि कृपया संस्थान वेबसाइट पर उपरोक्तानुसार प्रचार-प्रचार करने का कष्ट करें।
7. नोडल अधिकारी/कोऑर्डिनेटर, जन सूचना कार्यालय को इस आशय से प्रेषित की भविष्य में जन सूचना अधिकारियों से प्राप्त होने वाली सूचना/पत्रों पर उपरोक्त टैक्स्ट का नोट अभिलिखित न होने पर संबंधित जन सूचना अधिकारी से अनुरोध करें कि उक्त का अनुपालन करायें।

(प्र0 रजनीश कुमार सिंह)